आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक– एनओसी. / 2011–12 दिनांकः 7 जून,2011

विषयः **बजाज पब्लिक स्कूल, मकसूदापुर, शाहजहांपुर को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त बिषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक–14–7–09 के क्रम में गठित समिति के निर्णय दि0 06 जून 2011 के क्रम में उक्त सन्दर्भित विघालय को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उ0प्र0 सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

01– विघालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02– विघालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03– विघालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विघालयों में विभ्न्नि कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

04– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। और यदि पूर्व में विघालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप प्राप्त है तथा विघालय की सम्बद्वता सेन्टल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / कौंन्सिल फॉर दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने के तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

05– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

06– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

07– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

08– विघालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।

09– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिबर्द्वन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

(सुधीर एम0 बोबडे)
आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली

Principal
Bajaj Public School
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
Maqsoodapur, Shahjahnpur

पृ0सं0: एन0ओ0सी0 / 1885-92 2011–12 दिनांकः जून,2011

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव,उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ
2– शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3– जिलाधिकारी, शाहजहांपुर
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली
5– जिला विघालय निरीक्षक, शाहजहांपुर
6– प्रबन्धक, बजाज पब्लिक स्कूल, मकसूदापुर, शाहजहांपुर
निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विघालय उ0प्र0, लखनऊ

BAJAJ PUBLIC SCHOOL
MANAGER
MAQSOODAPUR (SHAHJAHANPUR)

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली